UPJL040050132026

न्यायालयः–न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान उरई।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः–39/2026

देवीशरण बनाम राज्य उत्तर प्रदेश
मुकदमा संख्या 02/2025,
सरकार बनाम देवीशरण,
मुकदमा अपराध संख्या 71/2024
धारा 3/25 आयुध अधिनियम
थाना कोटरा, जिला जालौन।

दिनांक–10.04.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त देवीशरण पुत्र श्रीप्रकाश की ओर से मुकदमा संख्या 02/2025, सरकार बनाम टिंकू, मुकदमा अपराध संख्या 71/2024, अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना कोटरा, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार उरई में निरूद्ध है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में यह आधार लिया गया है कि उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा किसी भी सक्षम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से कोई जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है निरस्त नहीं हुआ है। वह निर्दोष है। उससे तथाकथित अवैध कट्टा व कारतूस की बरामदगी कतई नहीं हुई है। बरामदगी स्थल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। थाना कोटरा की पुलिस द्वारा अपनी कार्यगुजारी दिखाने के लिये उसको झूंठा फंसा दिया गया है। उसको तथाकथित घटना के समय थाना कोटरा पुलिस उसको घर से उठा ले गयी थी और उक्त अपराध में झूंठा फंसा दिया है। वह दिनांक 10.11.2024 से जिला कारागार उरई में बन्द है। उसका कोई भी पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

3. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया है।

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किये जाने का आरोप है। उपरोक्त प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 10.11.2024 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त देवीशरण पुत्र श्रीप्रकाश की ओर से मुकदमा संख्या 02/2025, सरकार बनाम देवीशरण, मुकदमा अपराध संख्या 71/2024, अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना कोटरा, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को उसके द्वारा मुवलिग 20 हजार रूपये की एक जमानत एवं इसी राशि का एक निजी बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जालौन स्थान उरई।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 3610